उपखण्ड अधिकारी
शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 146/2021 अन्तर्गत धारा 86(2) RLR Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
कुंभाराम पुत्र नारणाराम के कायम मुकाम 1. रामुराम पुत्र कुंभाराम 2. राजेन्द्रकुमार पुत्र कुंभाराम 3. कृष्णकुमार पुत्र कुंभाराम 4. शांतीदेवी पुत्री कुंभाराम 5. भीखोदेवी पत्नी कुंभाराम जाति जाट, निवासी मूढणों की ढाणी (उण्डू) तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. प्रार्थीगण अधिवक्ता :– श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 04.08.2023

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में एक परिपत्र संख्या प.3(2)राज./6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 जारी कर निर्देश पारित किये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 के तहत चलायमान बारहमासी रास्तों पर आवागमन हेतु उसका रेकर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त योजना के तहत ग्राम मूढणों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 54 रकबा 3.9659 हैक्टेयर में से रास्ता कायम करने में विधिक भूल होने पर प्रार्थी की खातेदारी में सेढे से प्रस्तावित रास्ते की तरमीम मौके पर चलायमान रास्ता एवं राजस्व रेकर्ड मे अंकित रास्ते की तरमीम एक दूसरे के विपरीत कर दी गई है। प्रार्थी को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य करवाने के प्रस्ताव की स्वीकृति के दौरान होने पर धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न पेश कर पुनर्विलोकन आवेदन पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा रास्ता संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु पारित आदेश के संबंध में रेकर्ड में अंकित रास्ता एवं मौके पर चलायमान रास्ता एक दुसरे के विपरीत होने पर मौका एवं रेकर्ड में मिलान नही होने पर मौका निरीक्षण करते हुए मौके पर चलायमान रास्ते अनुसार रेकर्ड में संशोधन हेतु उक्त आवेदन पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पंजीयन किया जाकर विप्रार्थी को जरीये नोटिस भेजकर तलब किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार शिव से विवादित भूमि के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड में उक्त खसरा में से एक रास्ता गुजरता है, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 517/54 रकबा 0.4371 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। मौका निरीक्षण के दौराने जांच पाया गया कि वर्तमान अंकित रास्ते के स्थान पर कोई चलायमान रास्ता नहीं चल रहा है। वर्तमान में रास्ता खसरा नम्बर 54 में से खसरा नम्बर 332/30, 449/52 व 53 की सीमा पर गुजरता है, जिसको मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग हरा दर्शाया गया है, जो बिन्दू संख्या ABC गुजरता है। वर्तमान रेकर्ड में अंकित रास्ता बरंग लाल दर्शाया गया है, जो बिन्दू संख्या ADC दर्शाया गया है। उक्त बिन्दू ADC अनुसार रास्ता मौके पर नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते बिन्दू संख्या ABC पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा उक्त संशोधन से रास्ते के रकबे में कोई परिवर्तन नहीं होना बताया गया है तथा मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा प्रस्तावित संशोधन बाबत् सहमति प्रदान की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
जिला-बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड अधिकारी
शिव

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्ज बरंग हरा अनुसार संशोधन को स्वीकार करते हुए तद्नुसार रेकर्ड दुरस्ती हेतु आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने आवेदन के तथ्यों पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली व तहसीलदार शिव द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। उक्त आवेदन में राज्य सरकार द्वारा जनहित में एक परिपत्र संख्या प. 3(2)राज./6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 जारी कर निर्देश पारित किये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 के तहत चलायमान बारहमासी रास्तों पर आवागमन हेतु उसका रेकर्ड में अंकन किया जाना था, किन्तु उक्त राजस्व आवेदन में पारित आदेश परिपत्र मे जारी निर्देशों की पालना के विपरीत हो गया है। उक्त के संबंध में तहसीलदार शिव द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भूअ/2022/2228 दिनांक 18.8.2022 को प्रेषित मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रेकर्ड में उक्त खसरा में से एक रास्ता गुजरता है, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 517/54 रकबा 0.4371 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता जो राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। मौका निरीक्षण के दौराने जांच पाया गया कि वर्तमान अंकित रास्ते के स्थान पर कोई चलायमान रास्ता नहीं चल रहा है। वर्तमान में रास्ता खसरा नम्बर 54 में से खसरा नम्बर 332/30, 449/52 व 53 की सीमा पर गुजरता है, जिसको मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग हरा दर्शाया गया है, जो बिन्दू संख्या ABC गुजरता है। वर्तमान रेकर्ड में अंकित रास्ता बरंग लाल दर्शाया गया है, जो बिन्दू संख्या ADC दर्शाया गया है। उक्त बिन्दू ADC अनुसार रास्ता मौके पर नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु बिन्दू संख्या ABC पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है तथा उक्त संशोधन से रास्ते के रकबे में कोई परिवर्तन नहीं होना बताया गया है। अतः उक्त स्थिति में परिपत्र में जारी निर्देशों अनुसार रास्ता संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये अनुसार बिन्दू संख्या ADC के स्थान पर मौके पर बने रास्ते बिन्दू संख्या ABC अनुसार दुरस्ती किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त संशोधन लट्‌ठा नक्शा में किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन नहीं होने से यथावत रखा जावें। अतः तहसीलदार शिव को निर्देश दिये जाते है कि तद्नुसार दुरस्ती किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 04.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner